प्रेषक

महानिदेशक
राज्य परिवहन हरियाणा
चण्डीगढ़।

सेवा में,

1 सभी अधिकारीगण (मुख्यालय)
2 उड़नदस्ता अधिकारी,
आई०एस०बी०टी० दिल्ली / चण्डीगढ़।
3 सभी महाप्रबन्धक,
हरियाणा राज्य परिवहन

क्रमांक 1508-38 /टी०आई-4
दिनांक: 20-07-2011

विषय: परिवहन विभाग की कार्य प्रणाली में सुधार लाने के लिये किये गये महत्वपूर्ण निर्णयों को कार्यान्वित करने बारे।

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय द्वारा परिवहन विभाग की कार्य प्रणाली में सुधार लाने के लिये हरियाणा राज्य परिवहन के क्रिया-कलापों की गहराई से समीक्षा निम्न प्रकार से की जानी आवश्यक है ताकि विभाग की कार्य-कुशलता तथा कार्य-प्रणाली में सुधार लाया जा सके। समीक्षा उपरांत निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं:-

1 परिवहन विभाग के प्रत्येक वाहन पर रूट के अनुसार रूट बोर्ड अवश्य लगा होना चाहिए। यदि निरीक्षण के समय किसी बस पर बोर्ड नहीं पाया जाता है तो उसकी सीधी जिम्मेवारी यार्ड मास्टर की निर्धारित की जानी उचित होगी। इसके अतिरिक्त कार्यशाला प्रबंधक वाहन में अतिरिक्त टायर/फर्स्ट एड बॉक्स/शिकायत पुस्तिका उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे।

2 हरियाणा राज्य परिवहन के सभी आगारों में सुबह के समय आउटरीडिंग के दौरान आगार के किसी भी एक अधिकारी की ड्यूटी लगी होनी चाहिए ताकि वाहनों का समय पर सही संचालन सुनिश्चित किया जा सके। आउटरीडिंग के दौरान अन्य/सामान्य बिंदुओं के अतिरिक्त बस की सफाई, धुलाई तथा चालक परिचालक की वर्दी इत्यादि विशेष तौर पर चैक की जावे तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी छोटे-मोटे कारण से गाड़ी का समय मिस ना हो।

3 उप-निरीक्षक/निरीक्षक वाहनों को चैक करते समय यह अवश्य चैक करें कि वाहन जहां से चली है और जहां पर वे उसे चैक कर रहे हैं इस रास्ते के बीच जिन स्टेजों पर बस को रोकना चाहिए था वहां पर बस रोकी गई है या नहीं। अगर बस उन स्टेजों पर नहीं रुकती है तो निरीक्षण स्टाफ को इसकी सूचना भी निरीक्षण रिपोर्ट में अवश्य अंकित करनी चाहिए। निरीक्षक/उप-निरीक्षक अपनी रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट उल्लेख करें कि निरीक्षण किस-2 स्टेज पर और किस-2 समय किया

गया है। वे–बिल पर हस्ताक्षर करते समय अपना पूरा नाम, आगार व किस जगह निरीक्षण किया गया है, परिचालक के वे–बिल में इन्द्राज करेंगे।

4 पीतल के पंच या अन्य किसी धातु के पंच विभाग द्वारा परिचालकों को नहीं दिये गये हैं तथा न ही महाप्रबन्धक स्वयं इन्हें उपलब्ध करवाएं। यदि किसी परिचालक के पास इस प्रकार का पंच पाया जाता है तो निरीक्षक/उप–निरीक्षक उसकी रिपोर्ट तुरन्त कार्यालय में देंगे। विभाग द्वारा दिये गये पंच के अतिरिक्त कोई अन्य पंच प्रयोग करते पाये जाने पर परिचालक से ₹1000/–जुर्माना वसूल किया जाएगा। जिस भी परिचालक के पास विभागीय पंच है वह उसके साथ छेड़छाड़ करता पाया जाता है या पंच की सूई को पैना किया गया, तो माना जायेगा कि उस परिचालक की ईमानदारी संदेहजनक है। जिस मार्ग पर वह चल रहा है महाप्रबन्धक अपने उडनदस्ता/निरीक्षकों/उप–निरीक्षकों के द्वारा सप्ताह में दो बार अवश्य उस मार्ग पर निरीक्षण करवाये और यदि परिचालक दोषी पाया जाता है तो उसके विरूद्ध सख्त कार्यवाही करके मुख्यालय को अवगत करवाये।

5 पूर्व में मुख्यालय के निरीक्षकों/उप–निरीक्षकों द्वारा कार्यालय के ध्यान में लाया गया है कि हरियाणा राज्य परिवहन के कुछ चालक/परिचालक बसों में सामान को रखवा लेते है और कुछ सामान छुपा कर लाया जाता है। यह एक अति गम्भीर मामला होने के साथ–2 इस सामान में कोई अवैध या विस्फोटक पदार्थ भी हो सकता है जिस कारण जान–माल की हानि भी हो सकती है। सभी महाप्रबन्धकों को इस बारे सख्त निर्देश दिए जाते हैं कि भविष्य में कोई भी चालक/परिचालक बिना यात्री के बस में सामान लेकर आता/जाता पाया गया तो उससे ₹1000/– जुर्माना राशि वसूल कर मुख्यालय को अवगत करवाये तथा उसके विरूद्ध कड़ी अनुशासनिक कार्यवाही भी अमल में लाई जाये।

6 सभी महाप्रबन्धकों को निर्देश दिए जाते हैं कि वह अपने–अपने क्षेत्र में स्वयं तथा यातायात प्रबन्धक से चैकिंग करवाये एवं यह सुनिश्चित करें कि कोई भी राज्य परिवहन की वाहन प्राईवेट ढाबे पर खड़ी न हो। यदि फिर भी उनके आगार की कोई वाहन उनके क्षेत्र में प्राईवेट ढाबे पर खड़ी पाई जाती है तो इस अवस्था में चालक/परिचालक प्रत्येक से ₹1000–1000/–जुर्माना राशि वसूल कर ली जाये एवं उनकी सेवायें भी निन्दित की जाये तथा मुख्यालय को जुर्माना की गई राशि का ब्यौरा भिजवायें। अन्य आगारों से संबंधित बसों के प्राईवेट ढाबों पर खड़ी पाए जाने पर महाप्रबन्धक तुरंत मुख्यालय में सूचना भेजना सुनिश्चित करेंगे।

7 सभी महाप्रबन्धकों को निर्देश दिए जाते हैं कि वह सुनिश्चित करेंगे कि विभाग की ओर से चालक/परिचालक/निरीक्षक/उप निरीक्षक स्टॉफ को जो वर्दी मिली हुई है वह उसे कार्य समय में पहन रहे हैं। निरीक्षण के दौरान यदि कोई कर्मचारी चालक/परिचालक बिना वर्दी पाया जाता है तो उस पर कम से कम

₹1000/–जुर्माना किया जाना उचित होगा। यह जुर्माना की राशि 1995 में ₹500/–निर्धारित की गई थी परन्तु कर्मचारियों के वेतन/ओवर टाईम व भत्ता इत्यादि मे काफी बढ़ोतरी हो चुकी है। अतः इस राशि को ₹500/– से बढ़ाकर ₹1000/–कर दिया जाये।

8 प्रायः देखने में आया है कि परिचालक अपनी सीट को छोड़कर की सीट नं0 1/ बोनट पर बैठकर चालक से बातचीत करते है और सीट नं0 1/बोनट पर बैठे होने के कारण उसे आसानी से चैकिंग पार्टी का ज्ञान हो जाता है और बस में बिना टिकट रखी हुई सवारियों को टिकटें तुरन्त काट देता है जिसके कारण वाहन में गबन की संभावना भी बढ़ती है।परिचालक द्वारा अपनी निर्धारित सीट पर ना बैठने के निर्देशों की अवहेलना व चैकिंग स्टॉफ द्वारा तुरन्त रिपोर्ट प्राप्त होने की दशा में परिचालक पर ₹1000/–जुर्माना वसूल किया जाए तथा सीट नं 1/बोनट पर बैठने पर की गई रिपोर्ट/जुर्माना राशि का ब्यौरा मुख्यालय में भिजवायें।

9 सभी महाप्रबन्धक यह सुनिश्चित करेंगे कि विभाग द्वारा जिन फलाई–ओवरों जैसे कि जीरकपुर, बलदेवनगर (अंबाला), पानीपत, सोनीपत, मुरथल इत्यादि के ऊपर से वाहन लेकर जाना वर्जित किया हुआ है यदि कोई चालक ऐसे फलाई–ओवरों के ऊपर से बस लेकर जाता हुआ पाया जाता है तो उस बस चालक/परिचालक प्रत्येक से ₹1000–1000/–जुर्माना वसूल कर मुख्यालय को अवगत करवायेंगे तथा उस चालक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी अमल में लाई जाये।

10 सभी महाप्रबन्धक यह सुनिश्चित करेंगे कि बुकिंग शाखा में कार्यरत कर्मचारियों को आदेश पारित कर परिचालकों को उनकी ड्यूटी के आधार पर ही टिकटें जारी करें ताकि परिचालक कर–रहित टिकटें न बेच कर क्षेत्रानुसार ही टिकटें ही बेचें व जहां पर टोल–टैक्स की टिकटें लगाना उचित है वहां उनका प्रयोग अवश्य करें ताकि सरकार को टोल–टैक्स की पूरी प्राप्ति हो। यदि कोई परिचालक बगैर टोल–टैक्स की टिकटें (जहां टोल–टैक्स की टिकट देना आवश्यक है), अन्य राज्य में जहां टैक्स–रहित टिकटें दी जाती है वहां टैक्स सहित टिकटें अथवा अन्य कोई गलत टिकट बेचता पाया जाता है तो उसके विरूद्ध तुरन्त कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये तथा इस की सूचना तुरन्त मुख्यालय को भी भिजवाये।

11 महाप्रबन्धक/यातायात प्रबन्धक चैकिंग पर जाते है तो स्वयं चैकिंग करने की अपेक्षा वे केवल निरीक्षक/उप–निरीक्षक से चैकिंग करवाते है वे–बिल पर ही निरीक्षक/उप–निरीक्षक के हस्ताक्षर करवाये जाते है यह उचित नहीं है। अधिकारियों को स्वयं वाहन से उतर कर चैकिंग में भाग लेना चाहिए तथा कुछ वे–बिलों पर अधिकारियों के भी हस्ताक्षर होने चाहिये। अधिकारी अपने वाहन उप–निरीक्षकों/निरीक्षकों के सुपुर्द कर देते है और निरीक्षक/उप–निरीक्षक स्वतंत्र

रूप से बिना अधिकारी की देखरेख में चैकिंग करते हैं, यह भी उचित नहीं है क्योंकि निरीक्षक सरकारी वाहन के प्रयोग के लिये स्वतंत्र रूप से सक्षम नहीं हैं। इसके अतिरिक्त जब वे अधिकारियों के बिना वाहन में स्वतंत्र रूप से चैकिंग करते हैं तो वे परिचालकों पर अनावश्यक मानसिक दवाब भी डाल सकते हैं और अनाधिकृत कार्यवाही भी कर सकते है। इसलिए यह उचित होगा कि जब निरीक्षक/उप–निरीक्षक स्वयं स्वतंत्र रूप से चैकिंग पर जाये तो स्वयं बस में ही सफर करें और जब अधिकारियों के साथ जाये तो उनके वाहन में सफर करें जो कि सरकार/विभाग के भी हित में होगा तथा निरीक्षकों/उप–निरीक्षकों द्वारा की जाने वाली मनमानी से भी बचा जा सकेगा।

12 सभी महाप्रबन्धक हर माह निरीक्षक/उप–निरीक्षकों की बैठक बुलायेंगे जिस में बसों की चैकिंग की प्रगति की रिपोर्ट का ब्यौरा लेंगे व मुख्यालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

निर्देशों की पालना कठोरता से करवाई जाये।

कृते: महानिदेशक
राज्य परिवहन हरियाणा, चण्डीगढ़।
12-7-2011

पृ० क्र० /टी०आई०–4 दिनांक

इसकी एक प्रति वितायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा राज्य परिवहन, विभाग को सूचनार्थ प्रेषित है।

– Sd –
कृते: महानिदेशक
राज्य परिवहन हरियाणा, चण्डीगढ़।